हो रहा है उनके नाम क्या हैं और इससे सरकार को प्रति वर्ष कितनी आमदनी हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि मूंगफली के तेल के निर्यात के कारण देश में मूंगफली के तेल की कमी हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) मूंगफली के तेल के निर्यात पर रोक है और इस मद के निर्यात के लिए किसी फर्म को अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Incentive Bonus To Public Servants

4623. DR. A.U. AZMI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that incentive bonus is given to public servants on their accumulation in the General provident fund, if so, the details thereof, and

(b) whether there is any proposal to enhance the percentage of it and also allow additional bonus for getting more subscription and accumulation, if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA) : (a) Yes, Sir. Incentive bonus is admissible to the subscribers to General Provident Fund at the rate of one per cent on the entire balance at their credit in case they have not withdrawn any amont from their Provident Fund Account during the preceding three years.

(b) The rate of incentive bonus is reviewed every year alongwith the annual review of the rate of interest on balances in General Provident Fund taking all relevant factors into account.

Bringing of Gazetted Employees on Pay Rolls of Non-Gazetted Employees

4624. DR. A.U. AZMI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to bring the Gazetted Employees on the pay rolls of Non-Gazetted Employees to effect saving in paper etc. and man-hours; and

(b) if not, reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA) : (a) The pay and allowances of the Gazetted Employees in the Central Government civil ministries/ departments and of P.&.T Department are already being drawn by the concerned drawing and disbursing officers on the establishment pay bills as in the case of Non-Gazetted Employees, commencing from salary for the month of March, 1976, thus dispensing with the system of individual officers drawing their own bills. A similar procedure is being followed in the case of Civilian Gazetted officers in Defence Services and railway employees in Zonal Railways and Railway production units. However, the bills of Gazetted Employees in the office of Railway Board are prepared individually and signed by the respective offtcers.

(b) Does not arise.

विभिन्न विभागों द्वारा फालतू वस्तुओं की बिक्री

4625. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा

बेची गई फालतू वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य क्या है तथा अभी बेचे जाने वाले वस्तुओं की कुल मात्रा क्या है तथा इस समय स्टाक में पड़ी इस प्रकार की वस्तुओं का अनुमानित मूल्य क्या है;

(ख) अभी तक स्टाक में पड़ी इस प्रकार की वस्तुओं की मात्रा क्या है जिनके बिक्री अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं; लेकिन जिनको अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया गया है ; और

(ग) स्टाक में यह कब तक से पड़ी हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) मंत्रालय/विभागों को, 50,000 रु. तक के अंकित मूल्य की फालतू वस्तुओं के निपटान की व्यवस्था करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें इस निपटान की रिपोर्ट इस विभाग/पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को करना आवश्यक नहीं है। वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान, निपटान की गई फालतू वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित है :—

	वस्तुओं का अंकित मूल्य	वस्तुओं का बिक्री मूल्य
1981-82	64.10 करोड़ रु.	23.39 करोड़ रु.
1982-83	83.94 करोड़ रु.	32.32 करोड़ रु.

दिनांक 31-1-84 को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को रिपोर्ट की गई, निपटान के लिए बकाया फालतू वस्तुओं का अनुमानित मूल्य 12.84 करोड़ रु. है।

(ख) ऐसे मामलों की संख्या और बिक्री मूल्य, जहां अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन जिन्हें मूर्त रूप नहीं दिया गया है वे निम्नलिखित हैं :

	लाट्स	बिक्री मूल्य
पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	33	32.36 लाख रु.
पूर्ति और निपटान निदेशालय, बम्बई	59	47.32 लाख रु.
पूर्ति और निपटान निदेशालय, कलकत्ता	75	4.15 लाख रु.
पूर्ति और निपटान निदेशालय, मद्रास	7	1.79 लाख रु.
जोड़		85.62 लाख रु.

(ग) सबसे पुराना मामला वर्ष 1979 का है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के पर्यटक गृहों के स्थापना-स्थल

4626. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पर्यटक और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर भारतीय पर्यटन विकास निगम के पर्यटक गृह स्थित हैं और उन में से प्रत्येक पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;